बेरुजुको अद्यावधिक विवरण तथा

बेरुजु फस्यौंट अनुगमन समितिबाट सम्पादित कार्यहरुको

# अर्धवार्षिक प्रतिवेदन

(२०८१ श्रावण-पुष)

प्रदेश सरकार

## बेरुजु फस्यौंट अनुगमन समिति

कोशी प्रदेश, विराटनगर

# विषयसूची


| विषय | पेज नं. |
| --- | --- |
| १. बेरुजु फस्यौंट अनुगमन समितिको परिचय | ३ |
| २. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार | ३ |
| ३. समितिबाट पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा भएका निर्णय र सोको कार्यान्वयन अवस्था | ४ |
| ४. सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजुको लगतबाट हटाउनु पर्ने विषयमा | १४ |
| ५. कोशी प्रदेशको बेरुजुको विवरण र फस्यौंटको अवस्था | १५ |
| (क) महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बेरुजुको विवरण | १५ |
| (ख) मन्त्रालय/निकायहरुबाट प्राप्त भए अनुसार बेरुजुको विवरण | १६ |
| (ग) बेरुजु फस्यौंटको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण | १७ |
| (घ) मन्त्रालय/कार्यालयको अभिलेख र म.ले.प.को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसारको बेरुजुको हिसाब भिडान | १८ |
| (ङ) आ.व.२०८०/८१ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु | १९ |
| ६. बेरुजु फस्यौंट कार्यमा देखिएका मुख्य समस्या तथा चुनौतीहरु | १९ |
| ७. बेरुजु फस्यौंटलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरु | २० |
| अनुसूची- मन्त्रालय/निकाय र मातहत कार्यालयको बेरुजुको अद्यावधिक विवरण | |

## १. बेरुजु फस्यौंट अनुगमन समितिको परिचय

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ को नियम ९३ मा बेरुजु फस्यौंट अनुगमन समितिको व्यवस्था रहेको छ। सो अनुसार कार्यालयले गरेको बेरुजु फस्यौंटको अनुगमन गरी बेरुजु फस्यौंट सम्बन्धी काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन देहाय बमोजिमको **बेरुजु फस्यौंट अनुगमन समिति** रहेको छः-

(क) प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकार -अध्यक्ष

(ख) प्रदेश सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय -सदस्य

(ग) प्रदेश सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय -सदस्य

(घ) सम्बन्धित विषय हेर्ने महाशाखा प्रमुख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय -सदस्य

(ङ) प्रदेश लेखा नियन्त्रक, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय -सदस्य सचिव

बेरुजु फस्यौंट अनुगमन समितिको सचिवालय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रहने प्रावधान रहेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा आर्थिक महाशाखा प्रमुखलाई समितिको सदस्यमा तोकिएको छ, भने आर्थिक विश्लेषण शाखाले सचिवालयको रुपमा कार्य गरिरहेको छ।

## २. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ को नियम ९३ (२) अनुसार बेरुजु फस्यौंट अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छः-

(क) मन्त्रालय, अन्य निकाय, निर्देशनालय वा कार्यालयले गरेको बेरूजु फस्यौंट सम्बन्धी कामकारबाहीको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन गर्ने,

(ख) कायम भएको बेरूजु कम फस्यौंट गर्ने वा फस्यौंट नगर्ने मन्त्रालय, अन्य निकाय वा निर्देशनालयको प्रमुखलाई समितिमा उपस्थित गराई छलफल गर्ने,

(ग) कायम भएको बेरूजु फस्यौंट नगर्ने वा नगराउने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई मूल्याङ्कनको आधारमा कारबाहीको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र यसरी दिइएको निर्देशन माथि कारबाही नगरेको पाइएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत उपर विभागीय कारबाहीको निमित्त प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(घ) सम्बन्धित मन्त्रालय, अन्य निकाय वा निर्देशनालयलाई बेरूजु फस्यौंट गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र बेरूजु फस्यौंट सम्बन्धी कारबाही सुरु गरे वा नगरेको वा असुल उपर गर्नु पर्ने भनी ठहऱ्याएको बेरूजु तोकिएको समयभित्र असुल उपर गरे वा नगरेको तथा प्रदेश तहसिल कार्यालयमा पठाए वा नपठाएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,

(ङ) बेरूजु फस्यौंट सम्बन्धी कामकारबाहीको सम्बन्धमा प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालय वा अन्य निकाय वा निर्देशनालयबाट असुल उपर वा नियमित भएको र पेश्की बेरुजुको अङ्क समेत खुलाई प्रगति विवरण माग गरी अनुसूची-२१, अनुसूची-२३ र अनुसूची-२४ बमोजिमको ढाँचामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र **प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा** पेश गर्ने।

(च) साविक नेपाल सरकार अन्तरगतका कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनु अघिको फस्यौंट गर्न बाँकी बेरुजुको लगत नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय वा प्रदेशका निकायबाट विवरण एवम् कागजातहरु माग गरी सोको फस्यौंट गर्नका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने गराउने।

समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ र समितिले आफ्नो बैठक सम्बन्धी कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ।

**बेरुजु न्यूनीकरण तथा फस्यौंट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को दफा १७** को उपदफा (४) अनुसार बेरुजु फस्यौंट समिति वा समितिको सचिवालयले प्रदेशका मन्त्रालय वा अन्य निकायले गरेको बेरुजु फस्यौंट कार्यको नियमित रुपमा अनुगमन गरी अनुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ। सो समितिले मन्त्रालय वा अन्य निकायबाट प्राप्त बेरुजुको लगत तथा अद्यावधिक विवरण समेत समावेश गरी अनुगमनको त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन **प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समिति समक्ष** पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ।

## ३. समितिबाट पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा भएका निर्णय र सोको कार्यान्वयन अवस्था

२०८१ श्रावण १३ गते र श्रावण ३० गते गरी आ.व.२०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा बेरुजु फस्यौंट अनुगमन समितको दुईवटा बैठक बसेको छ। समितिको बैठकमा भएका निर्णयहरु र सोको कार्यान्वयनको अवस्था देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छः-

### (क) मिति २०८०/०४/१३ गते बसेको बेरुजु फस्यौंट अनुगमन समितिको बैठकका निर्णयहरुः-

**१. नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (NAMS)** बाट सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको बेरुजुको एकीकृत विवरण प्राप्त गर्न सकिने र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुको जवाफ तथा प्रतिक्रिया NAMS बाट प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउने गरी प्रणालीमा व्यवस्था मिलाइदिन महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई पुनः अनुरोध गर्ने।

**कार्यान्वयनको अवस्थाः-** NAMS बाट सबै कार्यालयको बेरुजुको एकीकृत रिपोर्ट आउने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट च.नं.७१ मिति २०८१/०४/१५ गते महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पत्र पठाइएको छ।

२. मन्त्रालय/कार्यालय गाभिँदा वा विभाजन तथा खारेज हुँदाको अन्यत्र सार्ने बेरुजुको लगत एवम् कागजात हस्तान्तरण, बेरुजु फस्यौंटको अवस्था, समस्या तथा चुनौतीहरु र बेरुजुको अद्यावधिक विवरण तयारी सहित उपस्थिति हुने गरी श्रावण महिनाको अन्तिम हप्तातिर मन्त्रालयका प्रदेश सचिवलाई समितिमा बोलाई छलफल गर्ने।

**कार्यान्वयनको अवस्थाः** सबै मन्त्रालय/निकायका प्रदेश सचिवको उपस्थतिमा २०८१ श्रावण ३० गते बेरुजु फस्यौंट सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ।

३. बेरुजु न्यूनीकरण तथा फस्यौंट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को दफा १७(४) सँग सम्बन्धित अनुसूची-८ बमोजिम मन्त्रालय/निकायको अनुगमन गरी **२०८१ श्रावण २५** गतेभित्र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न तीनवटा टोली खटाउने।

**कार्यान्वयनको अवस्थाः** समितिको निर्णय अनुसार खटिएको बेरुजु फस्यौंट अनुगमनको ३ वटा टोलीहरुबाट प्रदेशका सबै मन्त्रालय/निकायको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश भएको छ।

४. महालेखापरीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ (कोशी प्रदेश) को बेरुजुमध्ये प्रचलित कानून विपरित र सरकारलाई हानी, नोक्सानी हुने गरी आर्थिक कारोबार गरेको, बजेट भन्दा बढीको दायित्व सृजना एवम् खर्च गरेको भनी औंल्याएका जस्ता गहन प्रकृतिका बेरुजुको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग छलफल गर्न/जवाफ माग गर्नका लागि सचिवालयले अध्ययन तथा टिपोट गरी आगामी बैठकमा पेश गर्ने।

**कार्यान्वयनको अवस्थाः** महालेखापरीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ (कोशी प्रदेश)मा औंल्याएका मुख्य मुख्य बेरुजुको व्यहोरा टिपोट गरी मिति २०८१/०४/३० गतेको समितिको बैठकमा पेश गरिएको छ। यस सम्बन्धी थप छलफल गर्न तथा जवाफ माग गर्न बाँकी रहेको छ।

५. बेरुजु फस्यौंट कार्यमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने कार्यालयलाई बेरुजु न्यूनीकरण तथा फस्यौंट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बमोजिम पुरस्कार प्रदान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले फस्यौंटको प्रगति विवरण र संलग्न कर्मचारीको नामावली सहित समितिमा सिफारिस गर्ने।

**कार्यान्वयनको अवस्थाः** बेरुजु फस्यौंटमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने कार्यालयलाई पुरस्कार प्रदान गर्न कार्यालय तथा कर्मचारीको नामावली सहित बेरुजु फस्यौंटको प्रगति पठाउन सबै मन्त्रालय/निकायमा पत्राचार गरिएकोमा कुनै पनि मन्त्रालय/निकायबाट विवरण उपलब्ध भएको छैन।

६. समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सचिवालयले आगामी बैठकमा पेश गर्ने।

**<u>कार्यान्वयनको अवस्था:</u>** समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मिति २०८१/०४/३० गतेको बैठकमा पेश गरिएको।

७. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरुले सबै मन्त्रालय/कार्यालय/निकायको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम त्रैमासिक रुपमा गरी प्रतिवेदन दिने। मन्त्रालय/कार्यालय/निकायले त्रैमासिक रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने र प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन एवम् समीक्षा गर्ने, गराउने।

**<u>कार्यान्वयनको अवस्था:</u>** सबै निकायको त्रैमासिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्न, गराउन परिपत्र गरिएको छ। साथै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र अन्तर्गतको मिति २०८१/०४/२३ गते भएको वार्षिक समीक्षा बैठकमा पनि त्रैमासिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्न गराउन र सोको लागि अपुग हुने जनशक्ति प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले मिलाइदिने भनी निर्णय/निर्देशन भएको छ।

चालु आ.व.२०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको **आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको विवरण** देहायअनुसार प्राप्त भएको छः-

(क) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयः- २०८१ मंसीरमा आ.ले.प. भएको।
(ख) कोशी प्रदेश सभा सचिवालयः- २०८१/०९/०४ गते भएको।
(ग) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयः- हालसम्म नभएको।
(घ) भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः- पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक (पुषसम्मको) एकैपटक २०८१ माघ २४ र २५ गते आ.ले.प. भएको।
(ङ) स्वास्थ्य मन्त्रालयः- २०८१ मंसीरमा आ.ले.प. भएको।
(च) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयः- २०८१/०८/०३ मा भएको।
(छ) सामाजिक विकास मन्त्रालयः- **नभएको।** (२०८१/११/२० गतेसम्म)
(ज) खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयः- **नभएको** (माघ ६ गतेको विवरण अनुसार)
(झ) उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयः- हालसम्म नभएको।
(ञ) पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयः- **हालसम्म नभएको।** (माघ १३ गतेसम्म)
(ट) प्रदेश योजना आयोगः- नभएको (फागुन २२ गतेसम्म)
(ठ) प्रदेश लोक सेवा आयोगः- हालसम्म नभएको।
(ड) मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयः- नभएको।

आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरु (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेत) मा प्रथम त्रैमासिक अवधिमा आन्तरिक

लेखापरीक्षण सम्पन्न कार्यको प्रगति विवरण माग गरिएकोमा २ वटा कार्यालयबाट मात्र विवरण प्राप्त भएको छ। कार्यालयहरुबाट प्राप्त विवरण देहायअनुसार रहेको छः-

**१.प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, विराटनगरः-** मोरङ जिल्लामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने प्रदेशका कार्यालय संख्या ३८ वटा रहेको। आलेप गर्ने प्रयोजनका लागि संघीय कार्यालयहरु थप २५ वटा रहेका छन्। २०८१/१०/१० सम्म ८ वटा कार्यालयको प्रथम त्रैमासिक अवधिको आलेप सम्पन्न भएको र बाँकी कार्यालयको आलेप गर्ने कार्य भईरहेको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न कर्मचारी अभाव रहेको, साथै सरुवा/बढुवाले पनि प्रभावित बनाएको। मलेपको टोलीले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने कार्यभईरहेको हुँदा समयमै आलेप गर्न ढिलाई भएको। यसपछि त्रैमासिक रुपमा आलेप गर्ने कार्य समयमै सम्पन्न गरिने।

**२. प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, इलामः-** यस जिल्लामा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका ११ वटा कार्यालयहरु रहेका छन्। २०८१/१०/०३ सम्मको प्राप्त विवरण अनुसार प्रथम त्रैमासिक अवधिको आलेप गर्न बाँकी रहेको। २०८१ पौष मसान्तसम्मको आलेप कार्य जारी भएकोले सम्पन्न पश्चात प्रतिवेदन गरिने।

८. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय/कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीलाई बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्स्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरण गराउने। प्रदेश मन्त्रालय/निकायको समन्वयमा अनलाईन (भर्चुअल) माध्यमबाट तथा स्थलगत रुपमा जिल्लास्थित कार्यालयहरुलाई समेत आर्थिक कार्यप्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण र बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने।

**<u>कार्यान्वयनको अवस्थाः</u>** स्वास्थ्य मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको। कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको आयोजनामा मोरङ जिल्लामा रहेका प्रदेशका सबै मन्त्रालय/कार्यालयका लेखा समूहका कर्मचारीलाई बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी अभिमुखीकरण भएको।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा मिति २०८१/०८/२३ गते भएको **आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको समीक्षा र बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी छलफल** कार्यक्रममा सबै मन्त्रालयका सचिव र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखसहितको उपस्थितिमा बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी जानकारीमूलक प्रस्तुतीकरण गरिएको छ।

साथै बेरुजु फर्स्यौट कार्य प्रक्रियाको जानकारीमूलक सामग्री तयार गरी इमेल मार्फत सबै कार्यालयहरुमा पठाइएको छ।

९. महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हरेक जिल्लामा खटिई आउने लेखापरीक्षण डोरमा सबै मन्त्रालय/कार्यालयले बेरुजु फस्यौंट (असुल/नियमित/पे.फ.) गरेका प्रमाण, कागजात सम्परीक्षणका लागि अन्तिम लेखापरीक्षक समक्ष पत्र सहित अनिवार्य रुपमा पेश गर्ने। सो कार्य गराउन मन्त्रालयले मातहतका निर्देशनालय र कार्यालयलाई समेत पत्राचार गर्ने।

**<u>कार्यान्वयनको अवस्थाः-</u>** महालेखापरीक्षको कार्यालयबाट आउने लेखापरीक्षण डोरसमक्ष बेरुजु फस्यौंटको कागजात सम्परीक्षणको लागि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु, गराउनु भनी सबै मन्त्रालय/निकायमा च.नं.६७ मिति २०८१/०४/१५ गते पत्र पठाइएको छ।

**(ख) मिति २०८१/०४/३० गते बसेको बेरुजु फस्यौंट अनुगमन समितिको बैठकको निर्णयः-**

१. समितिको मिति २०८१/०४/१३ को निर्णयबाट खटिएका बेरुजु फस्यौंट अनुगमन टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा छलफल गरियो। अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयन तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु सबै मन्त्रालय/निकायले कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।

**<u>कार्यान्वयनको अवस्थाः-</u>** बेरुजु फस्यौंट अनुगमन समितिको बैठकको निर्णयहरु आवश्यक कार्यान्वयनको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको च.नं.१२९ मिति २०८१/०५/०४ गते सबै मन्त्रालय/निकायमा पत्र पठाइएको छ।

२. मन्त्रालय/निकाय र मातहतका सबै कार्यालय, समिति/संस्था समेतको बेरुजुको एकीकृत र अद्यावधिक विवरण तयार गरी २०८१ भदौ १५ गते भित्र सबै मन्त्रालय/निकायले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत समितिमा पेश गर्ने।

**<u>कार्यान्वयनको अवस्थाः-</u>** मन्त्रालय/निकाय र मातहत कार्यालय समेतको बेरुजुको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने ढाँचा समेत पठाइएको। मन्त्रालय/निकायबाट विवरण संकलन गरी समितिको त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको।

३. मन्त्रालय/निकाय र कार्यालयहरुले लगत तयार गरेको बेरुजुको विवरणमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन एवम् उक्त कार्यालयको लगतसँग भिडान तथा रुजु गर्ने, गराउने। सबै निकायको बेरुजुको लगत तथा फस्यौंटको अद्यावधिक विवरण बेरुजु पोर्टलमा प्रविष्ट गर्ने, गराउने।

**<u>कार्यान्वयनको अवस्थाः</u>** सबै मन्त्रालय/निकायको बेरुजुको अद्यावधिक विवरण संकलन तथा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको लगतसँग भिडान गरिएको। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य

मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लगतसँग मलेपको वार्षिक प्रतिवेदनको बेरुजु विवरणमा फरक परेको देखियो।

साथै बेरुजु पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०८१/०८/१० मा सबै मन्त्रालय/निकाय र कार्यालयहरुलाई पत्राचार भएको छ।

४. सबै मन्त्रालय/निकायमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको बैठक नियमित रुपमा बसी बेरुजु फस्यौंटको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने। मन्त्रालयले मातहत निर्देशनालय/ कार्यालयलाई बेरुजु फस्यौंट कार्यमा सक्रिय बनाउने र नियमित अनुगमन गर्ने।

**कार्यान्वयनको अवस्थाः**

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा ३४ बमोजिम **लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति**को (२०८१ श्रावणदेखि पुषसम्मको अवधिमा) बैठक बसेको विवरण देहायअनुसार रहेको छः-

(क) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयः- **हालसम्म बैठक नबसेको।**

(ख) कोशी प्रदेश सभा सचिवालयः- **नखुलाइएको।** (प्राप्त पत्रमा विवरण उल्लेख नभएको।)

(ग) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयः-१ पटक बैठक बसेको।(२०८१ पुष २९ गते)

(घ) भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः- १ पटक बैठक बसेको।

(ङ) स्वास्थ्य मन्त्रालयः-**२ पटक बैठक बसेको।** (मिति २०८१ असोज १ र पौष ११ गते)

(च) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयः- अर्धवार्षिक अवधिमा ३ वटा बैठक भएको। (२०८१ भदौ १३, कात्तिक २८, पुष २२ गते)

(छ) **सामाजिक विकास मन्त्रालयः-** मिति २०८१/०७/०९ मा समितिको बैठक बसेको। उक्त बैठकमा सबै कार्यालय प्रमुखहरुलाई समेत आमन्त्रण गरी बेरुजुको समेत छलफल भएको।

(ज) खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयः- **६ वटा बैठक बसेको** (२०८१ भदौ १७, असोज १, असोज ११, कात्तिक ७, मंसीर ४, पौष २२ गते।)

**(झ)** उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयः- **यस अवधिमा नबसेको।**

(ञ) पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयः- **२ वटा बैठक बसेको।** (मिति २०८१/५/२० र २०८१/६/१० मा)

**(ट)** प्रदेश योजना आयोगः- **नभएको।**

(ठ) प्रदेश लोक सेवा आयोगः- **नभएको।**

(ड) मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयः- **नभएको।**

प्रदेशका मन्त्रालय/निकायबाट २०८१ श्रावण-पौषसम्म बेरुजु फस्योंट सम्बन्धमा गरेका कार्यहरु देहायको तालिकामा उल्लेख गरिएको छः-

**तालिका-१ मन्त्रालय/निकायबाट अर्धवार्षिक अवधिमा बेरुजु फस्योंट सम्बन्धी कार्यहरु**

| क्र.सं. | मन्त्रालय/निकायको नाम | असुल गर्न पत्राचार | सूचना जारी | सरकारी बाँकी लगत कायम | नियमित गर्ने निर्णय | सम्परीक्षण तथा लगत कट्टा गर्न मलेपमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | प्रदेश सभा सचिवालय | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको | पठाएको |
| २. | मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको | नपठाएको |
| ३. | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | १ पटक भएको | नभएको | नभएको | नभएको | पठाएको |
| ४. | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | २ वटा पत्राचार भएको | नभएको | नभएको | नभएको | पठाएको |
| ५. | उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | २ वटा पत्राचार भएको | नभएको | नभएको | भएको | पठाएको |
| ६. | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | भएको | नभएको | नभएको | नभएको | पठाएको |
| ७. | खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय | असुल गर्ने बेरुजु नभएको | नभएको | नभएको | भएको | पठाएको |
| ८. | पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ५ वटालाई पत्राचार भएको | नभएको | नभएको | | पठाएको |
| ९. | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | २ पटकसम्म पत्राचार भएको | नभएको | नभएको | भएको | पठाएको |
| १०. | सामाजिक विकास मन्त्रालय | मातहत कार्यालय पत्राचार भएको | नभएको | नभएको | | |
| ११. | स्वास्थ्य मन्त्रालय | ७ वटालाई पत्राचार भएको | नभएको | नभएको | भएको। | नपठाएको |
| १२. | प्रदेश योजना आयोग | पत्रचार भएको | सूचना जारी भएको | नभएको | नभएको | पठाइएको |
| १३. | प्रदेश लोक सेवा आयोग | कर्मचारी ग्रेडको बाहेक अरु वेरुजु नभएको। | | | | |

५. सबै निकायले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन एवम् अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याएका बेरुजुको समयमै फस्योंट गरी जवाफ तथा प्रतिक्रिया पठाउने।
**कार्यान्वयनको अवस्था:** आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको च.नं.१२९ मिति २०८१/०५/०४ गतेको पत्रबाट कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय/निकायमा पठाइएको छ।

६. समितिको आ.व.२०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अन्तिम रुप दिई कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गर्ने।

**कार्यान्वयनको अवस्थाः-** बेरुजु फस्यौंट अनुगमन समितिबाट २०८०/८१ मा सम्पादित कार्यहरुको वार्षिक प्रतिवेदन अन्तिम रुप दिई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट मिति २०८१/०५/१६ गते कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाइएको छ।

**प्रथम त्रैमासिक अवधिमा सम्पादन भएका अन्य कार्यहरुः-**

१. **समितिको प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन पेशः-** बेरुजुको अद्यावधिक विवरण तथा बेरुजु फस्यौंट अनुगमन समितिबाट सम्पादित कार्यहरुको प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन (२०८१ श्रावण-असोज) तयार गरी कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा मिति २०८१/०५/२५ गते पठाइएको छ।

२. **आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा**

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा ३३ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा/लागू गर्ने मन्त्रालय/निकायको विवरण देहाय अनुसार रहेको छः-

**(क) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयः-** २०८१/०३/१८ गते स्वीकृत भएको।

**(ख) कोशी प्रदेश सभा सचिवालयः-** नभएको।

**(ग) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयः-** मिति २०७८/०१/१४ मा स्वीकृत भएको।

**(घ) भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः-** २०८१/०६/०२ मा स्वीकृत भएको।

**(ङ) स्वास्थ्य मन्त्रालयः-** २०८१/०८/०४ गते स्वीकृत भएको।

**(च) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयः-** २०८१/०३/१६ गते स्वीकृत भएको।

**(छ) सामाजिक विकास मन्त्रालयः- नभएको।** तयारी अन्तिम चरणमा रहेको।

**(ज) खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयः-** २०८१/०६/२१ गते लागू भएको।

**(झ) उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयः-** आन्तिक नियन्त्रण प्रणाली, २०८१ मस्यौदा तयार भएको।

**(ञ) पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयः-** मिति २०८१/०५/२० मा लागू भएको।

**(ट) प्रदेश योजना आयोगः-** २०८१/०४/१५ गते तर्जुमा/लागू भएको।

**(ठ) प्रदेश लोक सेवा आयोगः-** मिति २०८१/४/१० मा स्वीकृत भएको।

**(ड) मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयः- नभएको।**

## ३. महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग छलफल

माननीय महालेखापरीक्षक सहित महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट आएको टोलीसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मिति २०८१/०८/२५ गते लेखापरीक्षण सम्बन्धमा छलफलमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रस्तुतीकरण गरिएको छ। उक्त छलफलमा अन्तिम लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फस्यौंट कार्यमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग देहायको विषयमा अनुरोध समेत गरिएको थियोः-

- पुरानो बेरुजु फस्यौंटको कागजात डोरमा सम्परीक्षण गरिदिनुपर्ने।
- अद्यावधिक बेरुजुको मन्त्रालयगत, कार्यालयगत विवरण वार्षिक प्रतिवेदनको अनुसूचीमा राखिदिनु पर्ने।
- NAMS मा सबै कार्यालयको रिपोर्ट प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले र मातहत कार्यालयको रिपोर्ट तालुक मन्त्रालयले हेर्ने मिल्ने बनाइदिनु पर्ने।
- वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भई सार्वजनिक लेखा समितिबाट छलफल भएपछि लगत कट्टा गरिने बाहेक अरु बेरुजु फस्यौंट/लगत कट्टा समयमै हुनुपर्ने।
- वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भई सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुनुपर्ने भनी NAMS मा पनि देखिनु पर्ने।
- केही सरकारी कोषको लेखापरीक्षणको विवरण प्रतिवेदनमा छुटेको हुँदा समावेश गर्नुपर्ने। जस्तै वनपैदावार आपूर्ति समिति, अस्पताल/आयुर्वेद केन्द्र व्यवस्थापन समितिको कोष आदि।

## ४. आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समीक्षा र बेरुजु फस्यौंटको छलफल

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पेश भएको आ.व.२०८०/८१ को आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत प्रतिवेदनमा माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा सबै मन्त्रालयका प्रदेश सचिव र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको उपस्थितिमा मिति २०८१/०८/२३ गते समीक्षा गरिएको छ। साथै बेरुजु फस्यौंटको विषयमा समेत छलफल भएको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न र बेरुजु फस्यौंटका लागि सबै मन्त्रालय/निकायमा पठाइएको छ।

उक्त छलफलमा बेरुजु फस्यौंट सम्बन्धी कार्यप्रक्रियाको विषयमा प्रस्तुतीकरण र कार्ययोजना समेत तयार गरिएको थियो। बेरुजु फस्यौंट सम्बन्धी कार्ययोजनाको खाका देहायअनुसार रहेको छ।

तालिका -२ बेरुजु फस्यौंट कार्ययोजना (मिति २०८१/८/२३ को छलफलमा प्रस्तुत गरिएको)

| सि.नं | क्रियाकलाप | समयसीमा | जिम्मेवारी |
|---|---|---|---|
| १. | बेरुजुको लगत/विवरण अद्यावधिक गर्ने। बेरुजु पोर्टलमा प्रविष्ट गर्ने। | २०८१ मंसीर | लेखा प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख |
| २. | असुल उपर गर्न बाँकी सबैलाई पत्राचार गरिसक्ने। | २०८१ पौष १५ | कार्यालय / महाशाखा प्रमुख/ निर्देशक |
| ३. | पत्राचार गर्दा असुल नभएमा भुक्तानी पाउने रकमबाट कट्टा गर्ने वा लेखी पठाउने। | पौष मसान्तसम्म | कार्यालय प्रमुख/ महाशाखा प्रमुख /निर्देशक |
| ४. | भुक्तानीबाट कट्टा गर्न नसकिएमा ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना निकाल्ने | माघ मसान्तसम्म | कार्यालय प्रमुख/ निर्देशक वा प्रदेश सचिव |
| ५. | सूचना निकाल्दा पनि असुल नभएमा सरकारी बाँकी सरह लगत कसी असुल गर्न पठाउने। | चैत्र मसान्तसम्म | प्रदेश सचिव |
| ६. | नियमित गर्नु पर्ने बेरुजुको कागजात सहित निर्देशनालय मार्फत मन्त्रालयमा सचिव समक्ष पेश गर्ने। | पौष मसान्तसम्म | कार्यालय प्रमुख/ लेखा प्रमुख/निर्देशक |
| ७. | पेश्की बेरुजु बाँकी भएमा कागजात तयार/पेश गरी पे.फ. गर्ने | माघ मसान्तसम्म | कार्यालय प्रमुख/ लेखा प्रमुख/निर्देशक |

**५. आ.व.२०८०/८१ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको बेरुजु फस्यौंट तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था देहाय अनुसार रहेको छः-**

(क) **मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयः-** आ.ले.प. प्रतिवेदनका सम्पूर्ण असुल उपर गर्नुपर्ने भनिएका बेरुजु तथा अन्य लगती बेरुजु फछ्यौंट भइसकेको तथा धेरै सुझावहरु कार्यान्वयन भईरहेको।

(ख) **कोशी प्रदेश सभा सचिवालयः-** आ.व.२०८०/८१ को आ.ले.प. प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनको क्रममा म.ले.प. फारम २०२ क. पेश्की माग फारम प्रयोगमा ल्याउन थालिएको।

(ग) **आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयः-** लगती बेरुजु नरहेको। आलेप प्रतिवेदनमा औल्याएका सुझावहरु मध्ये विविध खाता र धरौटी खातामा नामनामेसी र प्रयोजन नखुलेको मौज्दात रकमलाई प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने कार्य गरिएको। अन्य सुझावहरु कार्यान्वयनको क्रममा रहेको।

(घ) **भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः-** आ.ले.प. बेरुजु फस्यौंटको प्रयास भएको। बेरुजु फस्यौंट नभएको।

(ङ) **स्वास्थ्य मन्त्रालयः-** आ.व.२०८०/८१ को आ.ले.प. प्रतिवेदन अनुसार असुल उपर गर्ने बेरुजु रु.३४,४७०/- रहेकोमा रु.२२,०००/- असुल भएको।

**(च) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयः-** विवरण प्राप्त नभएको।

**(छ) सामाजिक विकास मन्त्रालयः-** आ.व.२०८०/८१ को आ.ले.प. प्रतिवेदनको बेरुजु फस्यौंट गरिएको र प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गरिएको।

**(ज) खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयः-** नभएको।

**(झ) उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयः-** असुल उपर हुनुपर्ने बेरुजु रु.२३,५१२/- असुल उपर गरी बैंक दाखिला भई फस्यौंट भएको। आ.ले.प.प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार विभिन्न मेला, प्रदर्शनी, एक्पो जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा भुक्तानी दिन आवश्यक मापदण्ड तयार गरि कार्यान्वयन गरिएको।

**(ञ) पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयः-** (प्राप्त पत्रमा विवरण नखुलाइएको।)

**(ट) प्रदेश योजना आयोगः-** बेरुजु नदेखिएको।

**(ठ) प्रदेश लोक सेवा आयोगः-** लगती बेरुजु नभएको।

**(ड) मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयः-** बढी ग्रेड भुक्तानीको असुल गर्ने बेरुजु रहेको (सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको)

## ४. सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजुको लगतबाट हटाउनु पर्ने विषयमा

१. मिति २०८१/०६/०६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकबाट यस सम्बन्धमा देहायको निर्णय भएको छः-

**<u>निर्णय नं.२</u>** प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय र निकायहरुले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ को नियम ९१ बमोजिम प्रदेश सभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रदेश सभा सचिवालयसँग समन्वय गरी प्राप्त गर्ने र प्रतिवेदन बमोजिम बेरुजुको लगतबाट हटाउनु पर्ने विषय प्रतिवेदन प्राप्त भएको २० दिनभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालय समक्ष अनुरोध गर्ने।

२. कोशी प्रदेश सभाको मिति २०८१/०६/०४ गतेको बैठकबाट स्वीकृत **सार्वजनिक लेखा समितिको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१** संलग्न गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको च.नं.१० मिति २०८१/०६/०९ गतेको पत्रबाट प्रदेशका सबै मन्त्रालय/निकायमा प्राप्त भएको छ।

३. मिति २०८१/०७/०५ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकमा देहायको निर्णय भएको छः-

**<u>निर्णय नं.६</u>** मिति २०८१/०६/०६ गतेको सचिव बैठकले प्रदेश सभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन बमोजिमको बेरुजुको लगतबाट हटाउनु पर्ने विषय महालेखा

परीक्षकको कार्यालय समक्ष अनुरोध गर्ने भनी निर्णय गरेकोमा केही मन्त्रालय/निकायबाट हालसम्म पनि सो कार्य नभएको पाइएको हुँदा तुरुन्त उक्त कार्य गर्ने। साथै बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने कार्यलाई सबैले उच्च प्राथमिकता दिने।

<u>कार्यान्वयनको अवस्थाः</u>-

**सार्वजनिक लेखा समितिको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार बेरुजुको लगतबाट हटाउनु पर्ने विषयमा** महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लेखी पठाएको सम्बन्धी कार्यको प्रगति विवरण देहायअनुसार रहेको छः-

**(क) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयः-** मिति २०८१/०७/०६ मा म.ले.प.को कार्यालयमा रु.५,१०,५६,५४७।-बेरुजु लगत कट्टा गर्नको लागि **लेखी पठाएको।**

**(ख) कोशी प्रदेश सभा सचिवालयः-** मिति २०८१/७/२० र ८/१० गतेको पत्रबाट जम्मा रु.२,१४,६३,१३०/- बेरुजुको लगत कट्टा गर्न म.ले.प. को कार्यालयमा **लेखी पठाइएको।**

**(ग) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयः-** लगती बेरुजुको विषय नरहेको।

**(घ) भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः-** मातहत कार्यालयलाई लेखी पठाइएको।

**(ङ) स्वास्थ्य मन्त्रालयः-** नखुलाइएको। (प्राप्त पत्रमा विवरण उल्लेख नभएको।)

**(च) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयः-** लगती बेरुजुको विषय नभएको।

**(छ) सामाजिक विकास मन्त्रालयः-** उक्त प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयलाई मिति २०८१/०९/२२ मा निर्देशन भएको।

**(ज) खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयः-** डिभिजन कार्यालयलाई लेखी पठाइएको।

**(झ) उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयः-** महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई सम्परीक्षणका लागि मन्त्रालयबाट २०८१/०६/१६ मा लेखी पठाइएको।

**(ञ) पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयः-** बेरुजुको लगतबाट हटाउनु पर्ने विषय नरहेको।

**(ट) प्रदेश योजना आयोगः-** नखुलाइएको। (प्राप्त पत्रमा विवरण उल्लेख नभएको।)

**(ठ) प्रदेश लोक सेवा आयोगः-** सैद्धान्तिक बेरुजु मात्र रहेको।

**(ड) मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयः-** विवरण प्राप्त नभएको।

## ५. कोशी प्रदेशको बेरुजुको विवरण र फस्यौंटको अवस्था

### (क) महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बेरुजुको विवरण

कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी निकाय, समिति तथा अन्य संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७९/८० सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षणको बेरुजूमध्ये फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षण गरी रु.५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख बेरुजु कायम रहेको छ।

### तालिका-३ कोशी प्रदेशको अन्तिम लेखापरीक्षण बेरुजुको विवरण

रकम रु.लाखमा

| विवरण/आ.व. | २०७४/७५ | २०७५/७६ | २०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | २०७९/८० | जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **सो आ.व.को बेरुजु** | **२२३** | **१६७३९** | **१२६५२** | **१६२८६** | **१६४६३** | **१३१७६** | **७५५३९** |
| बेरुजु (प्रतिशतमा) | ३.४% | ४.८% | २.८% | ३.६% | ३.४% | २.५% | |
| **फस्यौंट/लगत कट्टा** | **-** | **१** | **४४७०** | **३३९५** | **४८६२** | **७००६** | **१९७३५** |
| फस्यौंट प्रतिशत | - | ०.७% | २६.४% | १३.५% | १२.८% | १४.१% | |
| **सो आ.व.सम्मको बाँकी बेरुजु** | **२२३** | **१६९६१** | **२५१४३** | **३८०३३** | **४९६३४** | **५५८०४** | |

स्रोतः महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन

कोशी प्रदेशको ६ वटा आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणमा जम्मा रु.७ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख बेरुजु रहेकोमा रु.१ अर्ब ९७ करोड ३५ लाख फस्यौंट भई रु.५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख बाँकी रहेको छ।

### (ख) मन्त्रालय/निकायहरुबाट प्राप्त भए अनुसार बेरुजुको विवरण

प्रदेशका सबै मन्त्रालय/निकायबाट प्राप्त विवरण अनुसार आ.व.२०७४/७५ देखि आ.व.२०७९/८० सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण अनुसार प्रदेशका मन्त्रालय/निकाय र मातहतका निर्देशनालय र कार्यालयहरुको हालसम्मको **बेरुजु रु.९ अर्ब ४० करोड ७२ लाख ७ हजारको** लगत रहेको छ।

### तालिका-४ कोशी प्रदेशका मन्त्रालयगत (मातहत निकाय समेतको) बेरुजुको हालसम्मको विवरण

रकम रु.हजारमा

| क्र.सं. | मन्त्रालय/निकायको नाम | जम्मा बेरुजु | फस्यौंट | बाँकी बेरुजु | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | प्रदेश सभा सचिवालय | २७५९९ | २१८८ | २५४११ | |
| २. | प्रदेश लोक सेवा आयोग | २०१६ | १२४ | १८९२ | |
| ३. | मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय | १०८५ | ६३६ | ४४९ | |
| ४. | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | १४४८१५ | ८०२१ | १३६७९४ | |
| ५. | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | १०४२४ | ३५६१ | ६८६३ | |
| ६. | उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | ५१८२११ | १३५५८ | ५०४६५३ | |
| ७. | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | २०९३४८ | ९९५४४ | १०९८०४ | |
| ८. | खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय | १५९७०४७ | ५१२४७४ | १०८४५७३ | |
| ९. | पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ५८६४५५ | ५०१११ | ५३६३४४ | |
| १०. | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | ५५१४११७ | ३१८७४९५ | २३२६६२२ | |
| ११. | सामाजिक विकास मन्त्रालय | ३०९५३४ | १५५८६४ | १५३६७० | |
| १२. | स्वास्थ्य मन्त्रालय | ४८४१६४ | ७०२५१ | ४१३९१३ | |
| १३. | प्रदेश योजना आयोग | २३९२ | १००७ | १३८५ | |
| **जम्मा** | | **९४०७२०७** | **४१०४८३३** | **५३०२३७४** | |

स्रोतः प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरु

प्रदेशका मन्त्रालय/निकायबाट प्राप्त बेरुजुको विवरण अनुसार कतिपय प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट फस्यौंट भईसकेकोलाई पनि लगत कायम गरी अभिलेख राखेको हुँदा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको लगतसँग फरक परेको छ। मन्त्रालयगत बेरुजुको थप विवरण अनुसूचीमा संलग्न रहेको छ।

### (ग) बेरुजु फस्यौंटको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण

कोशी प्रदेशका मन्त्रालय/निकाय र मातहतका कार्यालय समेतको गरी रु.४ अर्ब ४ करोड २७ लाख १३ हजार बेरुजु फस्यौंटको विवरण समितिको २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ। अर्धवार्षिक प्रतिवेदन तयारीका लागि अद्यावधिक विवरण संकलन गर्दा कात्तिक देखि पुषसम्मको अवधिमा जम्मा रु.६ करोड ३० लाख ८३ हजार बेरुजु फस्यौंट भएको देखिन्छ। यसमा खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी फस्यौंट भएको छ।

**तालिका -५ बेरुजु फस्यौंटको मन्त्रालय/निकायगत प्रगति विवरण**

रकम रु. हजारमा

| क्र.सं. | मन्त्रालय/निकायको नाम | २०८१ असोजसम्म फस्यौंट | २०८१ पौषसम्म फस्यौंट | फस्यौंट प्रगति (कात्तिक-पौष) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | प्रदेश सभा सचिवालय | | २१८८ | २१८८ | |
| २. | प्रदेश लोक सेवा आयोग | | १२४ | १२४ | |
| ३. | मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय | ३९९ | ६३६ | २३७ | प्राप्त विवरणमा त्रुटी देखिएको। |
| ४. | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | ८०२१ | ८०२१ | ० | |
| ५. | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | ३५३९ | ३५६१ | २२ | |
| ६. | उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | १२८६१ | १३५५८ | ६९७ | |
| ७. | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | ७७१९२ | ९९५४४ | २२३५२ | |
| ८. | खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय | ४७५२०१ | ५१२४७४ | ३७२७३ | |
| ९. | पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ५०१११ | ५०१११ | ० | अद्यावधिक विवरण प्राप्त नभएको। |
| १०. | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | ३१८८४५७ | ३१८७४९५ | ० | विवरण फरक परेको। |
| ११. | सामाजिक विकास मन्त्रालय | १५५८६४ | १५५८६४ | ० | |
| १२. | स्वास्थ्य मन्त्रालय | ७०२५१ | ७०२५१ | ० | अद्यावधिक विवरण प्राप्त नभएको। |
| १३. | प्रदेश योजना आयोग | ८१७ | १००७ | १९० | |
| **जम्मा** | | **४०४२७१३** | **४१०४८३४** | **६३०८३** | |

स्रोतः प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरु

## (घ) मन्त्रालय/कार्यालयको अभिलेख र म.ले.प.को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसारको बेरुजुको हिसाब भिडान

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ रकम रु.हजारमा

| क्र.सं. | मन्त्रालय/निकायको नाम | म.ले.प. वार्षिक प्रतिवेदनको लगत | मन्त्रालय/ निकायको अभिलेख/लगत | फरक (घटी +/ बढी -) |
|---|---|---|---|---|
| १. | प्रदेश सभा सचिवालय | २३४०३ | २४५२५ | -११२२ |
| २. | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | ४३०४ | ४६२७ | -३२३ |

**साविक मन्त्रालय र विभाजन पछिका मन्त्रालयको हिसाब अनुसारको बेरुजु लगत भिडान**

**१.** आ.व.२०७६/७७ को लगत भिडानमा उद्योग, कृषि र वन तर्फ कार्यालयको लगत कमी देखिएको छ।

| साविक मन्त्रालयको नाम | म.ले.प. वार्षिक प्रतिवेदनको लगत | हालको मन्त्रालयको नाम | मन्त्रालयको अभिलेख/लगत | फरक (घटी +/ बढी -) |
|---|---|---|---|---|
| उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय | १४०१६४ | पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | १३६७२४ | |
| भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | ५९८७० | उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | ४९२८० | |
| **जम्मा** | **२०००३४** | **जम्मा** | **१८६००४** | **१४०३०** |

**२.** आ.व.२०७६/७७ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी, सिंचाई र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु समेतको बेरुजुको विवरण रहेको थियो। सो अनुसारको लगतमा धेरै फरक परेको छ।

| साविक मन्त्रालयको नाम | म.ले.प. वार्षिक प्रतिवेदनको लगत | हालको मन्त्रालयको नाम | मन्त्रालयको अभिलेख/लगत | फरक (घटी +/ बढी -) |
|---|---|---|---|---|
| भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | ७६२२५४ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | २८८२३७५ | |
| | | खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय | ३०७०२४ | |
| **जम्मा** | **७६२२५४** | **जम्मा** | **३१८९३९९** | **-२४२७१४५** |

**३.** आ.व.२०७६/७७ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पताल समेतको बेरुजुको विवरण रहेकोमा हालको अभिलेख अनुसार बढी लगत राखिएको देखिन्छ।

| साविक मन्त्रालयको नाम | म.ले.प. वार्षिक प्रतिवेदनको लगत | हालको मन्त्रालयको नाम | मन्त्रालयको अभिलेख/लगत | फरक (घटी +/ बढी -) |
|---|---|---|---|---|
| सामाजिक विकास मन्त्रालय | २३२९२१ | सामाजिक विकास मन्त्रालय | १७७८२४ | |
| अस्पताल समिति तर्फ | ६२२९ | स्वास्थ्य मन्त्रालय | ७५८६४ | |
| **जम्मा** | **२३९१५०** | **जम्मा** | **२५३६८८** | **-१४५३८** |

**पुनश्चः** आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय/मन्त्रालयमा लगत राखिएको हुँदा मलेपको बेरुजु विवरणमा फरक परेको देखिन्छ। अरु आर्थिक वर्षको पनि यस्तै फरक रहेको छ।

**(ङ) आ.व.२०८०/८१ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु**

कोशी प्रदेशका सबै मन्त्रालय/निकाय र मातहत कार्यालयको आ.व.२०८०/८१ को आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन मिति २०८१/०७/२६ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश भएको छ। सो प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशका सबै मन्त्रालय/निकाय र कार्यालयको जम्मा बेरुजुको विवरण देहायअनुसार रहेको छः-

आ.व.२०८०/८१ को आ.ले.प. कुल बेरुजु **रु.३६,६०,८७,६२५।-** यस मध्ये,

असुल गर्नुपर्ने रु.३,१८,२२,५९०।- (८.७%)

नियमित गर्नुपर्ने रु.८१५१५५६३।– (२२.३%)

म्याद नाघेको पेश्की रु.२५,२७,४९,४७२।– (६९.०%)

## ६. बेरुजु फस्यौंट कार्यमा देखिएका मुख्य समस्या तथा चुनौतीहरु

- सबै कार्यालयको बेरुजुको विवरण/लगत तयारी र अद्यावधिक नभएको,
- महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको विवरण र मन्त्रालय/कार्यालयबाट प्राप्त विवरणमा बेरुजुको लगत फरक परेको,
- मन्त्रालय/कार्यालय विभाजन हुँदा वा गाभिँदाको बेरुजुको लगत अद्यावधिक र फस्यौंटको कार्य प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको।
- कतिपय बेरुजु महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण तथा लगत कट्टा नभएको
- बेरुजु फस्यौंट गर्न कानूनमा केही अन्यौलता/अस्पष्टता रहेको (जस्तैः बेरुजु फस्यौंट गर्न कार्यालय प्रमुख र लेखाउत्तरदायी अधिकृत मध्ये को कति जिम्मेवार भन्ने स्पष्ट नभएको।)
- साविक कार्यालयको २०७४/७५ अघिको बाँकी बेरुजुको लगत अद्यावधिक र फस्यौंट गर्न संघीय निकायसँग समन्वय प्रभावकारी नभएको,
- बेरुजु फस्यौंट सम्बन्धी कार्य गर्न सबै निकायको सक्रियता नदेखिएको,
- बेरुजु फस्यौंटको प्रभावकारी अनुगमनको अभाव रहेको,
- दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको,
- बेरुजुको सम्बन्धमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न साविकका सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन नसकिएको,
- सबै निकायको त्रैमासिक रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण नभएको। आ.ले.प. गर्ने कर्मचारी अभाव रहेको। आलेप प्रतिवेदन अनुसारको बेरुजु लगत राखी फस्यौंट नभएको।

## ७. बेरुजु फस्यौंटलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरु

- बेरुजुको विवरण त्रैमासिक रुपमा समिति समक्ष पेश गर्न र बेरुजु पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट र अद्यावधिक गर्न, गराउन सबै मन्त्रालय/निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने।
- बेरुजु न्यूनीकरण तथा फस्यौंट सम्बन्धमा जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीलाई समेत अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने।
- प्रचलित कानून र बेरुजु न्यूनीकरण तथा फस्यौंट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार बेरुजु फस्यौंट सम्बन्धी कार्य भए, नभएको नियमित रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने।
- बढी बेरुजु भएका र कम फस्यौंट गर्ने मन्त्रालयका लेखाउत्तरदायी अधिकृत तथा जिम्मेवार व्यक्तिलाई समितिमा बोलाई छलफल गर्नु पर्ने। बेरुजु फस्यौंट नगर्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने।
- बेरुजु शुन्य भएका र बेरुजु फस्यौंटमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने।
- आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने गरी छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने।
- प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा ३४ अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने र **लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति**को बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक बसी मन्त्रालय/निकाय र मातहत कार्यालयको बेरुजु फस्यौंट र अनुगमन सम्बन्धी कार्य नियमित रुपमा गरे नगरेको समितिबाट अनुगमन गर्नुपर्ने।
- प्रदेश सरकार स्थापना हुनुभन्दा अघि आफ्नो कार्यालयको वा आफूले कागजात जिम्मा लिएका साविकका कार्यालयको बेरुजु फस्यौंट गर्नका लागि संघीय विभाग/मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने।
- नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (NAMS) बाट सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको बेरुजुको लगत र फस्यौंटको अद्यावधिक विवरण (एकीकृत रिपोर्ट) हेर्न मिल्ने गरी र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा लेखाउत्तरदायी अधिकृतले पेश गर्नुपर्ने जवाफ तथा प्रतिक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाटै पठाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाईदिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पहल गर्नुपर्ने।
- आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन एवम् अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याएका बेरुजुको समयमै फस्यौंट गर्नुपर्ने।
- सबै निकायको त्रैमासिक रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने। आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, बेरुजु फस्यौंट तथा समीक्षा गर्ने, गराउने। कामको चाप कम भएका मन्त्रालय/निकाय तथा कार्यालयमा कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीलाई समेत अर्को निकायको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा खटाउन उपयुक्त हुने।

अनुसूचीः-

मिति २०८१/११/२६

# कोशी प्रदेशका मन्त्रालय/निकाय र मातहत कार्यालय समेतको बेरुजुको अद्यावधिक विवरण (मन्त्रालय/निकायबाट प्राप्त विवरण अनुसार)

(नोटः- आ.व.२०७४/७५ देखि आ.व.२०७८/७९ सम्म साविकमा केही मन्त्रालयहरुको नाम फरक रहेता पनि हाल कायम रहेका मन्त्रालयको नाम अनुसार बेरुजुको विवरण तयार गरिएको छ।)

आ.व.२०७४/७५

| संकेत | मन्त्रालय/निकाय | लगत रु.हजारमा | | | | फर्स्यौट रु.हजारमा | | | | बाँकी रु. हजारमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | असुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | पेश्की | जम्मा | असुल भएको | नियमित गरेको | पेश्की फ. | जम्मा | |
| ३०५ | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | ३३ | | | ३३ | ३३ | | | ३३ | ० |
| ३१४ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | | २१९२ | | २१९२ | | २१९२ | | २१९२ | ० |
| ३२९ | पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ६ | १७४१५ | | १७४२१ | | | | ० | **१७४२१** |
| ३१२ | उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | २६६० | १४६ | | २८०६ | | | | ० | **२८०६** |
| ३५० | सामाजिक विकास मन्त्रालय | ४२ | १४ | ११६ | १७२ | ४२ | १४ | ११६ | १७२ | ० |
| २१६ | मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय | ४९ | | | ४९ | ४९ | | | ४९ | ० |
| | **जम्मा** | **२७९०** | **१९७६७** | **११६** | **२२६७३** | **१२४** | **२२०६** | **११६** | **२४४६** | **२०२२७** |

आ.व.२०७५/७६

| संकेत | मन्त्रालय/निकाय | लगत रु.हजारमा | | | | फर्स्यौट रु.हजारमा | | | | बाँकी रु. हजारमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | असुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | पेश्की | जम्मा | असुल भएको | नियमित गरेको | पेश्की | जम्मा | |
| ३१४ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | | | ४०५४७ | ४०५४७ | | | | ० | **४०५४७** |
| ३२९ | पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ४९४९ | १००८८९ | १८१९ | १०७६५७ | ३४९५ | २५२१ | २० | ६०३६ | **१०१६२०.८** |
| ३१२ | उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | ३०२१ | २६३७१ | ४९८८६ | ७९२७८ | | | | ० | **७९२७८** |
| ३१३ | खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय | ११३६० | १४२०४९ | १२७९५५ | २८१३६४ | ४४९० | ८०१३१ | ४८३२५ | १३२९४६ | **१४८४१८** |
| ३३७ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | १२७८ | १२१९७९ | ६२२००२ | ७४५२५८ | ६३१ | २३१४४ | ५२९३१७ | ५५३०९२ | **१९२१६६.३** |
| ३५० | सामाजिक विकास मन्त्रालय | ७८०१ | २०३१४ | २१९६ | ३०३११ | ० | ० | २१९६ | २१९६ | **२८११५** |
| ३७० | स्वास्थ्य मन्त्रालय | ४५७० | १७५८७ | ३०५ | २२४६३ | ३६९ | २७२१ | १०५ | ३१९५ | **१९२६७** |
| | **जम्मा** | **३२९७९** | **४२९१९०** | **८४४७१०** | **१३०६८७८** | **८९८५** | **१०८५१८** | **५७९९६३** | **६९७४६६** | **६०९४१२** |

आ.व.२०७६/७७

| संकेत | मन्त्रालय/निकाय | लगत रु.हजारमा | | | | फर्स्योट रु.हजारमा | | | | बाँकी रु. हजारमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | असुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | पेश्की | जम्मा | असुल भएको | नियमित गरेको | पेश्की फ. | जम्मा | |
| २०२ | कोशी प्रदेश सभा सचिवालय | १५७८ | २२९४७ | | २४५२५ | ४२६ | १७६२ | | २१८८ | २२३३७ |
| ३०१ | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | १०९४ | १३१७५ | | १४२६९ | | ७९४८ | | ७९४८ | ६३२१ |
| ३०५ | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | १८७२ | २७५५ | | ४६२७ | ३६५ | २५४० | | २९०५ | १७२२ |
| ३१४ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | | ५८६१ | १३९१३ | १९७७४ | | ५०० | १०००० | १०५०० | ९२७४ |
| ३२९ | पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ७४९५ | १२७८८३ | १३४७ | १३६७२४ | १०५८ | १२९३८ | ० | १३९९५ | १२२७२८.९ |
| ३१२ | उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | ३३७३७ | १५५४३ | | ४९२८० | ५१८ | ९१७६ | ० | ९६९४ | ३९५८६ |
| ३१३ | खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय | १२५६६ | २१९३२९ | ७५१२९ | ३०७०२४ | ५६२५ | १२४५२२ | ५१३२४ | १८१४७१ | १२५५५३ |
| ३३७ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | ३९३६६ | ७४३९१८ | २०९९०९१ | २८८२३७५.१ | २१३३५ | ४३१४९७ | २०९९०९१ | २५५१९२३ | ३३०४५२.५ |
| ३५० | सामाजिक विकास मन्त्रालय | २६८६ | १७४६१८ | ५२० | १७७८२४ | १११३ | ११८२७८ | ५२० | ११९९११ | ५७९१३ |
| ३७० | स्वास्थ्य मन्त्रालय | २७३३ | ७१८७४ | १२५७ | ७५८६४ | ६४३ | २०१५३ | २५७ | २१०५३ | ५४८११ |
| २१० | प्रदेश लोक सेवा आयोग | १६५ | | | १६५ | | | | ० | १६५ |
| २१६ | मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय | २४४ | १८७ | | ४३१ | | १८७ | | १८७ | २४४ |
| ३९१ | प्रदेश योजना आयोग | ७५८ | ६१४ | | १३७२ | ३८८ | ४२३ | | ८११ | ५६१ |
| | **जम्मा** | **१०४२९३** | **१३९८७०४** | **२१९१२५७** | **३६९४२५४** | **३१४७०.७२** | **७२९९२३** | **२१६११९२** | **२९२२५८६** | **७७१६६९** |

आ.व.२०७७/७८

| संकेत | मन्त्रालय/निकाय | लगत रु.हजारमा | | | | फर्स्योट रु.हजारमा | | | | बाँकी रु. हजारमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | असुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | पेश्की | जम्मा | असुल भएको | नियमित गरेको | पेश्की फ. | जम्मा | |
| २०२ | कोशी प्रदेश सभा सचिवालय | | ३१२ | | ३१२ | | | | ० | ३१२ |
| ३०१ | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | ४६ | ३७३७४ | | ३७४२० | १२ | | | १२ | ३७४०८ |
| ३०५ | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | १०३९ | ६११ | | १६५० | ९३ | ५०३ | | ५९६ | १०५४ |
| ३१४ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | | ७७७८९ | ४७३३ | ८२५२२ | | ६७९६० | | ६७९६० | १४५६२ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३२९ | पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ६१७८ | १२०८९७ | १०५५२ | १३७६२७ | १५४१ | १०८० | ९९४५ | १२५६६ | **१२५०६१** |
| ३१२ | उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | ७९७२ | १३१७३५ | १४४९ | १४११५६ | १३७ | ८२ | ४०५ | ६२४ | **१४०५३२** |
| ३१३ | खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय | ४७८५४ | २१०७८२ | २६८५४ | २८५४९० | २०८९९ | ५९७७७ | १३०४९ | ९३७२५ | **१९१७६५** |
| ३३७ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | ७९९६६ | ५१९८४२ | २५५८३ | ६२५३९१ | २६०३ | १३६९४ | १४५०० | ३०७९७ | **५९४५९४.३** |
| ३५० | सामाजिक विकास मन्त्रालय | ४५ | १३५६६ | १५३३ | १५१४४ | ३८ | १०८१५ | ० | १०८५३ | ४२९१ |
| ३७० | स्वास्थ्य मन्त्रालय | ५२९६ | ११९०८९ | ५९०४ | १३०२८९.०२ | ३७४ | २३४२१ | ० | २३७९५ | **१०६४९४.१** |
| २१० | प्रदेश लोक सेवा आयोग | ३८४ | | | ३८४ | | | | ० | **३८४** |
| २१६ | मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय | | ३८८ | | ३८८ | | ३८८ | | ३८८ | ० |
| ३९१ | प्रदेश योजना आयोग | ६ | २३४ | | २४० | ६ | १३५ | | १४१ | ९९ |
| | **जम्मा** | **१४८७८५** | **१२३२६२०** | **७६६०८** | **१४५८०१३** | **२५७०३** | **१७७८५५** | **३७८९९** | **२४१४५७** | **१२१६५५६** |

आ.व.२०७८/७९

| संकेत | मन्त्रालय/निकाय | लगत रु.हजारमा | | | | फर्स्यौट रु.हजारमा | | | | बाँकी रु. हजारमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | असुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | पेश्की | जम्मा | असुल भएको | नियमित गरेको | पेश्की फ. | जम्मा | |
| २०२ | कोशी प्रदेश सभा सचिवालय | १६८२ | | | १६८२ | | | | ० | **१६८२** |
| ३०१ | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | ७४५ | ५१०५७ | | ५१८०२ | **११** | | | **११** | **५१७९१** |
| ३०५ | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | १३८९ | १३८५ | | २७७४ | | | | ० | **२७७४** |
| ३१४ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | १८९६ | ४०५६० | | ४२४५६ | ५ | १८५५२ | | १८५५७ | **२३८९९** |
| ३२९ | पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ६१६९४ | ४३४२५ | ७७०५ | ११२८२४ | १०७५ | ८७५७ | ४४०५ | १४२३७ | ९८५८७ |
| ३१२ | उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | १६६२३ | २०८७१५ | १८५ | २२५५२३ | ३२९ | १७१२ | १८५ | २२२६ | **२२३२९७** |
| ३१३ | खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय | ७१८७९ | ३६३६४१ | २४८९८ | ४६०४१८ | ७९१६ | ६६६७० | १३०४६ | ८७६३२ | **३७२७८६** |
| ३३७ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | **१५५५५६** | २५७३२५ | ९०६६२ | ५०३५४३ | ६७३७ | २७३८८ | ९९७९ | ४४१०४ | ४५९४३९.४ |
| ३५० | सामाजिक विकास मन्त्रालय | ५४२३ | ६३५४८ | ८० | ६९०५१ | ३५४५ | १७०९० | ० | **२०६३५** | ४८४१६ |
| ३७० | स्वास्थ्य मन्त्रालय | १२५५२ | १०९६४५ | ३७७ | १२२५७४ | ९६५ | ७४६४ | १३७७ | ९८०६ | **११२७६७.५** |
| २१० | प्रदेश लोक सेवा आयोग | **५५४** | | | ५५४ | | | | ० | **५५४** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २१६ | मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय | ६७ | | | ६७ | | | | ० | ६७ |
| ३९१ | प्रदेश योजना आयोग | ५४२ | | | ५४२ | | | | ० | ५४२ |
| | **जम्मा** | **३३०६०२.१** | **११३९३०१** | **१२३९०६.६** | **१५९३८१०** | **२०५८३** | **१४७६३३** | **२८९९१.६९** | **१९७२०७.६** | **१३९६६०३** |

आ.व.२०७९/८०

| संकेत | मन्त्रालय/निकाय | लगत रु.हजारमा | | | | फस्र्यौट रु.हजारमा | | | | बाँकी रु. हजारमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | असुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | पेश्की | जम्मा | असुल भएको | नियमित गरेको | पेश्की फ. | जम्मा | |
| २०२ | कोशी प्रदेश सभा सचिवालय | ९२८ | १५२ | | १०८० | | | | ० | १०८० |
| ३०१ | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | ५४६ | ४०७७८ | | ४१३२४ | ९ | ४१ | | ५० | ४१२७४ |
| ३०५ | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | ११७० | १७० | | १३४० | | २७ | | २७ | १३१३ |
| ३१४ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | २५२१ | १९३३६ | | २१८५७ | ३३५ | | | ३३५ | २१५२२ |
| ३२९ | पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | १६०४२ | ५७६८६ | ४७४ | ७४२०२ | ८७० | २४०७ | ० | ३२७७ | ७०९२५ |
| ३१२ | उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | ८१४९ | ११९५९ | ६० | २०१६८ | ४६९ | ५४५ | | १०१४ | १९१५४ |
| ३१३ | खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय | ९३५९ | २४२८७६ | १०५१६ | २६२७५१ | १७१० | ५६६५ | ९३२५ | १६७०० | २४६०५१ |
| ३३७ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | ११६७५३ | ६०१८५३ | ३८९४३ | ७५७५४९ | २५८२ | ४९९७ | ० | ७५७९ | ७४९९७० |
| ३५० | सामाजिक विकास मन्त्रालय | २८१० | ११२८२ | २९३९ | १७०३१ | २२ | १६९२ | ३८३ | २०९७ | १४९३४ |
| ३७० | स्वास्थ्य मन्त्रालय | १०२१० | १२०११४ | २६५१ | १३२९७५ | २५०८ | ८२७३ | १६२२ | १२४०२ | १२०५७२.७ |
| २१० | प्रदेश लोक सेवा आयोग | ९१३ | | | ९१३ | १२४ | | | १२४ | ७८९ |
| २१६ | मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय | १५० | | | १५० | १२ | | | १२ | १३८ |
| ३९१ | प्रदेश योजना आयोग | २३८ | | | २३८ | ५५ | | | ५५ | १८३ |
| | **जम्मा** | **१६९७८८.८** | **११०६२०६.२७** | **५५५८३** | **१३३१५७८** | **८६९५** | **२३६४७** | **११३२९** | **४३६७२** | **१२८७९०६** |

## कोशी प्रदेशको आ.व.२०७४/७५ देखि २०७९/८० सम्मको लेखापरीक्षण बेरुजुको मन्त्रालय/निकायगत विवरण

| संकेत | मन्त्रालय/निकाय | लगत रु.हजारमा | | | | फर्स्यौट रु.हजारमा | | | | बाँकी रु. हजारमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | असुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | पेश्की | जम्मा | असुल भएको | नियमित गरेको | पेश्की फ. | जम्मा | |
| २०२ | कोशी प्रदेश सभा सचिवालय | ४१८८ | २३४११ | ० | २७५९९ | ४२६ | १७६२ | ० | २१८८ | २५४११ |
| ३०१ | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | २४३१ | १४२३८४ | ० | १४४८१५ | ३२ | ७९८९ | ० | ८०२१ | १३६७९४ |
| ३०५ | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | ५५०३ | ४९२१ | ० | १०४२४ | ४९१ | ३०७० | ० | ३५६१ | ६८६३ |
| ३१४ | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | ४४१७ | १४५७३८ | ५९१९३ | २०९३४८ | ३४० | ८९२०४ | १०००० | ९९५४४ | १०९८०४ |
| ३२९ | पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ९६३६४ | ४६८१९५ | २१८९७ | ५८६४५५ | ८०३९ | २७७०२ | १४३६९ | ५०१११ | ५३६३४४ |
| ३१२ | उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | ७२१६२ | ३९४४६९ | ५१५८० | ५१८२११ | १४५३ | ११५१५ | ५९० | १३५५८ | ५०४६५३ |
| ३१३ | खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय | १५३०१८ | ११७८६७७ | २६५३५२ | १५९७०४७ | ४०६४० | ३३६७६५ | १३५०६९ | ५१२४७४ | १०८४५७३ |
| ३३७ | भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | ३९२९१९ | २२४४९१८ | २८७६२८० | ५५१४११७ | ३३८८८ | ५००७२० | २६५२८८७ | ३१८७४९५ | २३२६६२२ |
| ३५० | सामाजिक विकास मन्त्रालय | १८८०६ | २८३३४३ | ७३८४ | ३०९५३४ | ४७६० | १४७८९० | ३२१५ | १५५८६४ | १५३६७० |
| ३७० | स्वास्थ्य मन्त्रालय | ३५३६१ | ४३८३०९ | १०४९४ | ४८४१६४ | ४८५९ | ६२०३१ | ३३६१ | ७०२५१ | ४१३९१३ |
| २१० | प्रदेश लोक सेवा आयोग | २०१६ | ० | ० | २०१६ | १२४ | ० | ० | १२४ | १८९२ |
| २१६ | मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय | ५१० | ५७५ | ० | १०८५ | ६१ | ५७५ | ० | ६३६ | ४४९ |
| ३९१ | प्रदेश योजना आयोग | १५४४ | ८४८ | ० | २३९२ | ४४९ | ५५८ | ० | १००७ | १३८५ |
| | **जम्मा** | ७८९२३८.२ | ५३२५७८८.८१ | ३२९२१८० | ९४०७२०७ | ९५५६२ | ११८९७८१ | २८१९४९० | ४१०४८३४ | ५३०२३७४ |

## कोशी प्रदेशका सबै मन्त्रालय/निकाय र मातहत कार्यालय समेतको बेरुजुको एकीकृत विवरण

| क्र.सं. | आर्थिक वर्ष | लगत रु.हजारमा | | | | फर्स्यौट रु.हजारमा | | | | बाँकी रु. हजारमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | असुल गर्नुपर्ने | नियमित गर्नुपर्ने | पेश्की | जम्मा | असुल भएको | नियमित गरेको | पेश्की फ. | जम्मा | |
| १ | २०७४/७५ | २७९० | १९७६७ | ११६ | २२६७३ | १२४ | २२०६ | ११६ | २४४६ | **२०२२७** |
| २ | २०७५/७६ | ३२९७९ | ४२९१९० | ८४४७१० | १३०६८७८ | ८९८५ | १०८५१८ | ५७९९६३ | ६९७४६६ | **६०९४१२** |
| ३ | २०७६/७७ | १०४२९३ | १३९८७०४ | २१९१२५७ | ३६९४२५४ | ३१४७१ | ७२९९२३ | २१६११९२ | २९२२५८६ | **७७१६६९** |
| ४ | २०७७/७८ | १४८७८५ | १२३२६२० | ७६६०८ | १४५८०१३ | २५७०३ | १७७८५५ | ३७८९९ | २४१४५७ | **१२१६५५६** |
| ५ | २०७८/७९ | ३३०६०२ | ११३९३०१ | १२३९०७ | १५९३८१० | २०५८३ | १४७६३३ | २८९९२ | १९७२०८ | **१३९६६०३** |
| ६ | २०७९/८० | १६९७८९ | ११०६२०६ | ५५५८३ | १३३१५७८ | ८६९५ | २३६४७ | ११३२९ | ४३६७२ | **१२८७९०६** |
| **कुल जम्मा** | | **७८९२३८** | **५३२५७८९** | **३२९२१८०** | **९४०७२०७** | **९५५६२** | **११८९७८१** | **२८१९४९०** | **४१०४८३४** | **५३०२३७४** |